कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)

Ph.No. :- (O)07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E_Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0 / मा.चि. / न0क्र0–128 / 2020 2083 **अम्बिकापुर, दिनांक** 17/12/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध)
अटल नगर, नवा रायपुर।

विषय :– **आवेदनकर्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छ0ग0 का जशपुर जिले के जशपुर वनमण्डल में वन परिक्षेत्र तपकरा एवं पत्थलगांव में प्रस्तावित भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत् ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 4.245 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग का FCA 1980 अंतर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।**

पंजीयन क्रमांक–FP/CG/OFC/42882/2019

संदर्भ :–
1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र पृ.क्र. / एफ–5–04 / 2020 / 10–2 दिनांक 09.11.2020
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ0ग0 रायपुर का पत्र क्र. / भू–प्रबंध / विविध / एल.एम.–115–830 / 2092 दिनांक 25.11.2020
3. वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल का पत्र क्र. / मा.चि. / 2020 / 3221 दिनांक 10.12.2020

——00——

विषयांकित वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण के छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की ओर पूर्व प्रेषित व्यपवर्तन प्रस्ताव में 04 बिन्दुओं पर संदर्भित पत्र–01 एवं 02 के माध्यम से वांछित अतिरिक्त जानकारी, जो वनमण्डलाधिकारी जशपुर वनमण्डल के संदर्भित पत्र–03 द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी जशपुर वनमण्डल के संदर्भित पत्र–3 द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन अनुसार 04 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र	चाही गई जानकारी	संशोधित जानकारी
1	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक में आवेदक विभाग का मांग पत्र संबंधी चेक लिस्ट क्रमांक–1 की जानकारी प्रदाय की गई है। उक्त चेक लिस्ट क्रमांक–01 में आवेदक विभाग का मांग पत्र संबंधी विवरण स्पष्ट नहीं है।	संशोधित चेकलिस्ट क्रमांक–01 में आवेदक विभाग का संशोधित मांग पत्र संलग्न है।
2	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक–26 से 31 में आवेदक वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) प्रदाय किया गया है। जिसमें बिन्दु क्रमांक–12 में यह जानकारी दिया जाना है कि आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हॉ तो संक्षिप्त विवरण देंवे। इसके समक्ष उत्तर स्वरूप वनमण्डलाधिकारी द्वारा रिनंक लेख किया गया है जो सही नहीं है। उत्तर हॉ अथवा नहीं में होना चाहिए। अतः वनमण्डलाधिकारी से संशोधित प्रपत्र73 प्राप्त कर प्रेषित करें।	प्रपत्र–3 में संशोधित जानकारी संलग्न है।

d:\dm section\memo diversion\128-bharatnet_chips_3.doc

Scanned by CamScanner

3	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक–33 के बिन्दु क्रमांक–3 में Details of displacement of people due to the project if any ? के संबंध में जानकारी प्रदाय की जानी है। इसके समक्ष उत्तर स्वरूप NIL लेख किया गया है। कृपया इसके संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रदाय करें।	जशपुर जिला के जशपुर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वालों मार्गों के सीमा के अंतर्गत उनके मौजूदा राईट–ऑफ–वे क अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने को कार्य प्रस्तावित है। आवेदित वनभूमि में कोई परिवार निवासरत, नहीं है अथवा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है जिससे उन्हें विस्थापित करना पड़े। अतः इस जानकारी स्वरूप NIL लेख किया गया है।
4	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक–1,3,9,10,11,48,50,53 तथा पृष्ठ क्रमांक–56 एंव 58 में प्रदायित दस्तावेज में जशपुर के स्थान पर जषपुर लेख किया गया है। कृपया उक्तानुसार प्रस्ताव में जशपुर शब्द के Spelling को संशोधित कर प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव के उक्त पृष्ठों में लिपिकीय त्रुटि है। जिसे संशोधित कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

वनमण्डलाधिकारी जशपुर वनमण्डल का संदर्भित पत्र–3 मय बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन की प्रति अनुशंसा सहित संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न :– संदर्भित पत्र–3 मय बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

पृ0क्र0 / मा.चि. / न0क्र0– 128 / 2020 2084 **अम्बिकापुर, दिनांक** 17/12/2020
प्रतिलिपि :–

1. **वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल** की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. JCEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society CHiPS, 2nd Floor, SDC Building, Civil Line Raipur Chhattisgarh की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

d:\dm section\memo diversion\128-bharatnet_chips_3.doc

Scanned by CamScanner